यह निरीक्षण आख्या प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पॉलीटैक्नीक, अल्मोड़ा के माह 04/2012 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पॉलीटैक्नीक, अल्मोड़ा के अवधि की माह 04/2012 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संदीप गर्ग, श्री अजय त्यागी व श्री प्रहलाद सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12/10/2018 से 17/10/2018 तक श्री राम सनेही लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा श्री पी॰सी॰ श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री एस॰के॰ डंग, सुपरवाइजर द्वार दिनांक 22.06.12 से 27॰06॰12 तक श्री एस॰के॰ त्यागी लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गई थी जिसमे 4/2009 से 03/12 तक की अवधि की लेखा परीक्षा की गई| वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र** -छात्राओं को तीन वर्षीय डिप्लोमा हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण दिया जाता है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	स्थापना			गैर स्थापना			आधि. (+)	बचत(-)
		प्रा.शे.	आवंटन	व्यय	प्रा.शे.	आवंटन	व्यय	-	
1	2015-16	-	10958000	10835834	-	4771410	4759613	-	133963
2	2016-17	-	15475793	15415281	-	3315068	3288111	-	87469
3	2017-18	-	21611381	21590463	-	2429344	2368527	-	81735
4	2018-19 (09/2018 तक)	-	28400000	15093721	-	4707529	2284550	-	15729258

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम		प्रा.अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	विविध प्राप्तियाँ	कुल प्राप्ति	व्यय	आधिक्य बचत
2015-16	CDTP	Rec.Gr.	650819	300000	39344	990163	600761	389402
		Non.Rec Gr.	582306	0	0	582306	-	582306
	Upgradation Of Poly.	-	10000000	0	0	10000000	2961455	7038545
2016-17	CDTP	Rec.Gr.	389402	1300000	24428	1713830	425964	1287866
		Non.Rec Gr.	582306	0	0	582306	56361	525945
	Upgradation Of Poly.	-	7038545	0	0	7038545	6662844	375701
2017-18	CDTP	Rec.Gr.	1287866	400000	58471	1746337	818490	927847
		Non.Rec Gr.	525945	0	0	525945	28710	497235
	Upgradation Of Poly.	-	375701	0	0	375701	49800	325901
2018-19 Ex.09/18	**CDTP**	Rec.Gr.	**927847**	**400000**	**58471**	**1386318**	**818490**	**567828**
		Non.Rec Gr.	497235	0	0	497235	0	497235
	Upgradation Of Poly.		325901	0	0	325901	0	325901

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई की श्रेणी “सी” है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव
↓
निदेशक
↓
प्रधानाचार्य
↓
प्रधान सहायक
↓
वरिष्ठ सहायक
↓
कनिष्ठ सहायक

अनुदेशक

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में प्रधानाचार्य राजकीय महिला पॉलीटैक्नीक, अल्मोड़ा की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पॉलीटैक्नीक, अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2016 ,11/2016, एवं 05/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- संस्था द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से, आयकर की कटौती नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप अदेय लाभ दिया जाना ₹ 1.88 लाख।

निदेशालय तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड के ई-टेण्डर संख्या 1884 TE/ Store/2014-15 Dated 10 नवंबर 2014 के संदर्भ के अधीन, संस्था के पत्रांक 894/Store/Equipment/Furniture/PLA/State/ Up gradation Supply of Machines/ Tools/ Equipment's /Furniture Dated 08.01.2015 के अनुसार M/s Universal Enterprises को प्रेषित क्रय आदेश में फर्म को Machines/ Tools/ Equipment's /Furniture की आपूर्ति किए जाने हेतु अनुरोध किया गया था । जिसमें स्रोत पर आयकर की कटौती किए जाने तथा आर्डर की धनराशि का 5% पर्फार्मेंस सिक्योरिटी जमा किए जाने हेतु उल्लेख किया गया था । सिक्योरिटी जमा, निदेशक तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पक्ष में FDR/NSC/Bank Draft के रूप में प्रस्तुत किए जाने हेतु भी निर्देशित किया गया था ।

इकाई के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जाँच में पाया गया कि, Scheme of Up gradation of existing polytechnics of Ministry of Human Resource development New Delhi के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 100 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं अवमुक्त की गई थी । भारत सरकार के उपरोक्त कार्यक्रम का क्रियान्वयन किए जाने हेतु किए गए क्रय आदेशों द्वारा संस्था द्वारा प्राप्त की गई आपूर्तिओं पर आपूर्तिकर्ताओं से, आयकर नियमानुसार स्रोत पर आयकर की कटौती 2% की दर से की जानी आपूर्ति आदेशों में निर्धारित थी। परंतु संस्था द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से, आयकर की कटौती नहीं किए जाने के फलस्वरूप निम्नांकित आपूर्तिकर्ताओं को अदेय लाभ दिया गया।

Sl. No.	Name of Firm	Invoice No./ Date	Amount in ₹	Income Tax was to be deducted @ 2 % at source
1	Capital Eng. Works Roorkee	291/23.03.15	264758	52295
2	Lipi Enterprises Haldwani	2355/14.06.15	679402	13588
3	Universal Enterprises Haldwani	1188/23.12.15	468520	9370
4	Mnnu Enterprises New Delhi	079/26.08.15	378813	7576
5	Universal Enterprises Haldwani	1295/ 06.01.16	903000	18060
6	--do--	1297/ 06.01.16	48300	966
7	Prayag Datt Belwal haldwani	159/ 16.05.16	171867	3437
8	--do--	161/ 16.05.16	292240	5884
9	--do--	162/ 17.05.16	299743	5994
10	--do--	163/ 17.05.17	24900	598
11	--do--	164/ 17.05.17	305845	6116
12	Quality Furniture House Almora	107/ 10.05.16	299152	5983
13	Digital Solutions Haldwani	187/ 12.05.16	194154	3883
14	Deavnshi Enterprises Haldwani	220/ 17.05.16	297750	5955
15	Labtech Electronics Chennai	78/ 22.07.15	402202	8044

16	Minaal Educational Books	201/ 22.04.16	106507	2130
17	Jagdamba Publishing Co. New Delhi	106/ 23.04.16	195587	3911
18	Universal Enterprises Haldwani	1318/ 30.03.16	535500	10710
19	Universal Enterprises Haldwani	1319/30.03.16	349421	6988
20	Universal Enterprises Haldwani	1316/ 30.03.16	2194500	43890
21	M/s Subhasayam Computers Kotdwara	505/ 30.05.16	53971	1079
22	--do--	507/ 31.05.16	939521	18790
	Total		9405653	188113

आपूर्तिकर्ताओं से, आयकर की कटौती नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 188113 के शासकीय राजस्व की हानि हुई । साथ ही आर्डर की धनराशि का 5% पर्फार्मेंस सिक्योरिटी जमा किए जाने के सम्बंध में अभिलेख लेखापरीक्षा के दौरान नहीं पाये गए ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि इस संबंध में निदेशालय द्वारा कोई निर्देश संस्था को नहीं दिये गए थे और आपूर्ति कर्ताओं के बिलों की जांच निदेशालय द्वारा की गई जिसके आधार पर बिलों का भुगतान किया गया ।

संस्था का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निदेशालय तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड के ई-टेण्डर संख्या 1884 TE/ Store/2014-15 Dated 10 नवंबर 2014 द्वारा स्रोत पर आयकर की कटौती किए जाने हेतु स्पष्ट निर्देश थे परंतु संस्था द्वारा निदेशालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किए जाने के कारण आपूर्ति कर्ताओं के बिलों से आयकर की कटौती नहीं की गई। अतः ₹ 1.88 लाख के आयकर की कटौती नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप आपूर्ति कर्ताओं को अदेय लाभ दिये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- बिना निविदा आमंत्रित किए आपूर्तिकर्ता फर्म से अनियमित क्रय रुपये 42.49 लाख

Government of Uttarakhand Department of Finance No. 177/XXVII(7)/2008 Dehradun: Dated: 01 May, 2008 THE UTTARAKHAND PROCUREMENT RULES, 2008 Advertised Tender Enquiry 13(1) Procurement of goods of estimated value of Rs.25,00,000/- (Rs. Twenty Five lakh) and above should be through invitation to tender by advertisement in at least two widely circulated National news papers. Procurement of goods of less than Rs.25,00,000/- (Rs. Twenty Five lakh) value should be through advertisement in widely circulated local, newspaper/newspapers and in case of any special need, in one widely circulated National newspaper. (2) The tender enquiry should also be placed on the website of the State Government/Department and have a hyperlink with the NIC web site.

उपरोक्त नियम के साथ सचिव उत्तराखंड के शासनादेश सं. XLI-1/2015-123/ 2011 दिनांक 20.02.2015 के बिन्दु संख्या 08 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

इकाई के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जाँच में पाया गया कि, Scheme of Up gradation of existing polytechnics of Ministry of Human Resource development New Delhi के अंतर्गत फर्नीचर/उपकरण/कंप्यूटर आदि क्रय किए जाने हेतु आपूर्ति कर्ता फर्म मै. यूनिवर्सल इंटरप्राइजेज़ हल्द्वानी से निम्न बिलों के माध्यम से सामाग्री का क्रय किए जाने में अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया।

Sl. No.	Name of Firm	Invoice No./ Date	Amount in ₹
1	Universal Enterprises Haldwani	1295/ 06.01.16	903000
2	--do--	1296/ 06.01.16	218663
3	--do--	1297/ 06.01.16	48300
4	Universal Enterprises Haldwani	1318/ 30.03.16	535500
5	Universal Enterprises Haldwani	1319/30.03.16	349421
6	Universal Enterprises Haldwani	1316/ 30.03.16	2194500
Total			**4249384**

उपरोक्त नियमानुसार रुपये 25 लाख और अधिक की अधिप्राप्ति हेतु कम से कम दो राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में तथा रुपये 25 लाख से कम दो स्थानीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित कर निविदाएँ आमंत्रित की जानी प्रावधानित है। परंतु राजकीय महिला पालिटेक्निक, अल्मोड़ा द्वारा रुपये

25 लाख और अधिक की अधिप्राप्ति बिना निविदा आमंत्रित किए ही वित्तीय नियमों की अनदेखी कर की गई थी ।

इकाई द्वारा रुपये 25 लाख और अधिक की अधिप्राप्ति हेतु कम से कम दो राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में निविदा आमंत्रित कर चयनित आपूर्तिकर्ता फर्म से निविदत्त मूल्य के 5% की दर से परफ़ार्मेंस सिक्योरिटी भी जमा कराई जानी भी अपेक्षित थी। परंतु इकाई द्वारा ना तो समाचार पत्रों में निविदाएँ आमंत्रित की गईं और ना ही आपूर्तिकर्ता फर्म से निविदत्त मूल्य के 5% की दर से परफ़ार्मेंस सिक्योरिटी जमा कराई गई। साथ ही आपूर्ति ली गई वस्तुओं की गुणवत्ता एवं मात्र के सत्यापन के सम्बंध में अभिलेख लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराये गए । तदनुसार इकाई द्वारा एक ही फर्म से 3 माह की अल्प अवधि में अलग-अलग बिलों के माध्यम से रुपये 4249384 के मूल्य का क्रय किया जाना अनुचित एवं अनियमित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वतः स्वीकार किया गया और बताया गया कि वित्तीय नियमों कि जानकारी के अभाव में तथा निदेशालय से दिशा-निर्देशों के प्राप्त न होने के कारण सामाग्री क्रय की गई। अतः रुपये 4249384 मूल्य के अनियमित क्रय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1- स्टेशनरी मद संख्या-(11) एवंकम्प्युटर स्टेशनरी मद संख्या-(47) सेकुल र 3.92 लाख की धनराशि का अनियमित व्यय ।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली -2008 की धारा 10(1) मे साफ वर्णित है कि ऐसी सामग्री और मदो के लिए ,जिन्हे सामान्य उपयोग की मदो के रूप मे चिन्हित किया और जिनकी सरकारी विभागो और एजेंसियों को बार-बार आवश्यकता होती है ,उनके लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागो की पदनामित केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा "दर सविंदा की जा सकती है। ऐसी दर सविंदाओ का विवरण विभाग/शासन को वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए। विभाग/शासन यह सुनिशिचित करेगा कि दर सविंदा के मूल्य, बाज़ार भाव या अन्य संघटनों के समान दर सविंदाओ मे दिये गए मूल्यो से अधिक न हो । उक्त धारा की बिन्दु 10(2) मे स्पष्ट है कि दर सविंदायें सामान्यत: एक समय मे एक वर्ष के लिए संचालित की जा सकेगी। तथापि ऐसी सामग्री के विषय मे जिनके मूल्य मे निरन्तर उतार-चढ़ाव होता हैं या जहां दर संविदा की जा सकती है और ऐसी सामग्री के बाज़ार भाव पर कड़ी निगरानी रखी जाए। कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय महिला पॉलीटेक्निक अल्मोड़ा के स्टेशनरी मद(11) एवं कम्प्युटर स्टेशनरी मद(47) की लनदेन से संबन्धित बिल एवं वाउचर की संप्रेक्षा द्वारा जांच की गयी एवं पाया गया है कि

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय महिला पौलिटेकनिक अल्मोड़ा द्वारा कम्प्यूटर स्टेशनरी मद(47) एवं स्टेशनरी मद(11) मे उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली -2008 के नियमो का पालन न करते हुए वर्ष मे की जाने वाली एक मुश्त दर सविन्दा नहीं की गयी, न ही बाज़ार का survey किया गया ,न ही इकाई स्तर पर किसी क्रय समिति का गठन किया गया था । इकाई द्वारा quotation के माध्यम से जो सामग्री खरीदी गयी उसमे सामग्री की क्वालिटी(गुणवत्ता) का कोई ध्यान नहीं रखा गया । इस ओर सम्प्रेक्षा द्वारा इकाई से पूछे जाने पर अपने उत्तर मे लेखा परीक्षा दल को अवगत कराया है की भविष्य मे इकाई द्वारा उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली -2008 के नियमो का पालन करते हुए वर्ष मे की जाने वाली एक मुश्त दर सविन्दा की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इकाई का उत्तर सम्प्रेक्षा मे मान्य नहीं क्योकि यदि इकाई स्तर पर पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओ से निविदा लेकर कम्प्यूटर स्टेशनरी मद(47) एवं स्टेशनरी मद(11) से सामग्री क्रय की जाती तो इकाई को कम दर पर एवं किफायती ढंग से सामग्री उपलबद्ध होती तथा वित्तीय नियमो का उल्लंघन भी नहीं होता ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:02- नई पेंशन योजना के अन्तर्गत नव-नियुक्त कर्मचारियो/अधिकारिओं के वेतन शीट /कोषगार शीट मे नियोक्ता का अंश (stateshare) जमा न होने के सम्बंध में।

उत्तराखंड राज्य मे दिनॉक – 01/10/2005 के पश्चात सेवा मे नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वित्त विभाग की अधि सूचना -21/XXVII(7) अंश दाई पेंशन योजना /2005 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत अंश दाई पेंशन योजना लागू की गयी थी। इस सम्बंध मे वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या - 643/XXVII(7) अंश दाई पेंशन योजना /2010 दिनाक 11/08/2010 के प्रस्तर –(2) के प्राविधानानुसार उक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिको व नियोक्ता/सेवायोजक के अंश की धनराशि कोषागार द्वारा लेखा शीर्षक -0071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए 00-117-नई पेंशन योजना ,01-कर्मचारी का अंश, 02-नियोक्ता का अंश (stateshare) के नामे जमा किए जाने की व्यवस्था की गयी थी ।

इस सम्बंध मे अपर सचिव उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या -113/06/XXVII(10) 2017 दिनाक -06/04/17 मे स्पष्ट किया गया है कि अंशदाई पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिको के 10% अंशदान की कटोती उनके वेतन मद के लेखा शीर्षक -8342011170301 मे जमा किया जाएगा । साथ ही समतुल्य धनराशि सरकार के अंशदान के रूप मे 2071011170301 से कटौती कर लेखा शीर्षक 8342011170302 मे जमा की जाएगी। इस प्रकार लेखा शीर्षक -83420111703 मे जमा कुल धनराशि को आहरित कर निदेशक, कोषागार द्वारा सी0 आर0 ए0 को प्रेषित किया जाएगा ।कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय महिला पॉलोटेकनिक अल्मोड़ा मे कार्यरत नव-नियुक्त कर्मचारियो/अधिकारिओ के एनपीएस खातो एवं उससे संबन्धित अभिलेखो की संप्रेक्षा जांच मे पाया गया है कि उनके वेतन शीट /कोषगार शीट मे नियोक्ता का अंश (stateshare) जमा नहीं हो रहा है। संप्रेक्षा जांच मे यह भी पाया गया हें कि संस्था मे तैनात कर्मचारियो/अधिकारिओं/शिक्षक गण मे से मात्र तीन कर्मचारियो/अधिकारिओ/शिक्षण गण की NPS पासबुक एवं लेजर तैयार किये गए। शेष कर्मचारियो/अधिकारिओ/शिक्षण गण के NPS पासबुक एवं लेजर तेयार नहीं किए गए है एवं कोषगार अल्मोड़ा के E-कोष द्वारा कोषगार शीट मे नियोक्ता का अंश (stateshare) जमा नहीं दर्शाया किया जा रहा है। संप्रेक्षा जांच मे यह पाया गया कि कॉलेज द्वारा कोषाधिकारी एवं निदेशालय को भी लगभग 02 वर्ष से इस सम्बंध मे पत्र द्वारा कोई सूचना नहीं दी। इस सम्बंध मे संप्रेक्षा द्वारा इकाई से पूछे जाने पर कॉलेज द्वारा अवगत कराया कि उक्त प्रकरण मे लेखापरीक्षा के निर्देशों का पालन करते हुऐ कार्यवाही की जायेगी। संप्रेक्षा मे इकाई उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा उक्त प्रकरण मे संप्रेक्षा तिथि (10/18) तक कोई कार्यवाही नहीं कि थी। शासनादेश -06/04/17 मे स्पष्ट है कि प्राविधानुसार उक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिको व नियोक्ता/सेवायोजक के अंश की धनराशि का लेखांकन सुसंगत लेखा शीर्ष के अंतर्गत न किए जाने के सम्बंध मे महालेखाकार उत्तराखंड द्वारा वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन 2015-16 मे आपत्ती दर्ज कि गयी थी।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर-3- ₹ 55200.00 (penal interest) सहित धनराशि के अग्रिम का संप्रेक्षा तिथि (10/2018) तक कॉलेज स्तर पर समायोजन न करने के संबंध मे ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-05 के भाग-एक नियम 162(7) &(10) मे स्पष्ट है कि समान की पूर्ति करने वालो की अग्रिम भुगतान करने के लिए जो अधिकारी धन निकालेगा वही उसके समायोजन का ज़िम्मेवार होगा ।इसके लिए वह अग्रिम धन का समायोजन एक माह के अंदर या वित्तीय वर्ष के अंत तक अवश्य हो जाना चाहिए । वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-05 के भाग-एक नियम 162(10) मे स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के तीन माह अप्रैल ,मई ,एवं जून मे अग्रिम आहरण बिलो पर इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित करेगा ,कि पिछले वर्ष मे आहरित सभी अग्रिमों का समायोजन कर लिया जाएगा। संप्रेक्षा द्वारा कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय महिला **पॉलीटेक्निक** अल्मोड़ा के अग्रिमों की पंजिका से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया था कि कॉलेज द्वारा संप्रेक्षा तिथि(10/18) तक समन्वय/ प्रधानाचार्य राजकीय महिला **पॉलीटेक्निक** जैती (अल्मोड़ा),नामक संस्था को निम्न विवरण के अनुसार अग्रिम प्रदान किया गया था जो एक माह अथवा उस वित्तीय वर्ष जिसमे अग्रिम प्रदान किया गया था मे समायोजन नहीं हो पाया था , उसका विवरण निम्नवत है।

क्रमसंख्या	**संस्थान/कॉलेज का नाम**	**अग्रिम भुगतान की दिनांक/वर्ष**	**अग्रिम धनराशि (₹) में**
01	प्रधानाचार्य राजकीय महिला **पॉलिटेक्निक** जैती (अल्मोड़ा)	18.04.2016	50000.00
योग			**₹** 50000.00

उक्त प्रकरण मे संप्रेक्षा द्वारा जांच मे पाया गया कि ₹ 50000.00 के अग्रिम की धनराशि संस्था द्वारा दिनाक-18/04/16 द्वारा दी गयी थी परंतु इकाई द्वारा 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी न तो प्रधानाचार्य राजकीय महिला **पॉलीटेक्निक** जैती (अल्मोड़ा) से अग्रिम वसूलने के प्रयास किए गए, न ही उक्त धनराशि पर penal interest दिनाक 01/04/2017 से 10.04% की दर से संस्था पर आरोपित व्याज दर 50000*10.04%=₹ 5200.00 आरोपित किया था। संप्रेक्षा द्वारा जांच से पता चलता है कि संप्रेक्षा तिथि (10/18) तक प्रधानाचार्य राजकीय महिला पॉलीटेक्निक जैती (अल्मोड़ा) पर penal interest सहित कुल अग्रिम ₹ 55200.00 बिना वसूली के लम्बित पड़ा था ।

इस ओर लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, इकाई द्वारा जो सूचना संप्रेक्षा को उपलब्ध करायी गई थी उनके साथ कोई तर्कपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। संप्रेक्षा को अपने उत्तर में मात्र यह अवगत कराया कि अग्रिमों के समायोजन की कार्यवाही संस्था स्तर पर गतिमान है, शीघ्र ही अग्रिम के समायोजन की कार्यवाही बजट प्राप्त होने पर कर ली जाएगी । संप्रेक्षा मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं हें क्योकि इकाई स्तर पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-05 के भाग-एक नियम 162(7) &(10) मे वर्णित प्राविधानों का पालन नहीं किया गया । **₹ 55200.00 की धनराशि के अग्रिम के असमायोजन का** प्रकरण उच्च **अधिकारियो के संज्ञान मे लाया जाता हें ।**

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
157/2007-08	01	1-3	1-2
111/2008-09	-	01	1-3
37/2012-13	01	01,02,03,04,05	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उक्त प्रस्तरो की अनुपालन आख्या निदेशालय को दिनांक 9-9-2015 को प्रेषित की जा चुकी है। वर्तमान मे पुन: अनुपालन आख्या निदेशालय प्रेषित कर दी जाएगी निदेशालय स्तर से उच्च अधिकारी की संस्तुति के पश्चात आपके कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य, राजकीय, महिला पॉलीटेक्निक, अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया|**

क्रम सं	नाम	पदनाम	दिनांक
1.	श्री के॰सी॰जोशी	प्रधानाचार्य	04/2012 से 31-08-2015 तक
2.	श्री बी॰के॰गुप्ता	कार्या॰व॰ प्रधानाचार्य	01-9-2015 से 1-11-2016
3.	श्री संजय कुमार	कार्या॰व॰ प्रधानाचार्य	02-11-2016 से 13-12-2016
4.	श्री ए॰ए॰हाशमी	प्रधानाचार्य	14-12-2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.